न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–186 / 2018 / 223 आर.टी.एक्ट (2018 / 00186)

1. भूरा पुत्र मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी लोधों का झोंपडा (चीकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर।
2. रायमल पुत्र रामचंद्र जाति लोधा, निवासी लोधों का झोंपडा (चीकल्या) तहसील सावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रतन पुत्र चतुर्भुज जाति लोधा, निवासी लोधों का झोंपडा (चीकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेनटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी, प्रकरण सं० 138 / 2013,

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः–20.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 138 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 1 के पुराने खसरा नम्बर 136 / 1 मिन के खसरा नम्बर 133 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 136 रकबा 0.33 हैक्टर खसरा नम्बर 137 रकबा 0.95 हैक्टर खसरा नम्बर 241 रकवा 0.17 हैक्टर बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर है अंतर्लिप्त आराजी वादी को आवंटन की गई थी इसके पश्चात वादी के नाम दर्ज कर दी गई परंतु भू–प्रबंध विभाग द्वारा उपरांक्त विवादित आराजी मुतनाजा को सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। जिसका नोटिस राज्य सरकार को दिया गया। राज्य सरकार ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदर किया कि उपरोक्त आराजी मुतनाजा बांध व तालाब के नजदीक हे तथा वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

का पानी बांध तालाब में जाता है जिसकी वजह से यह भूमि मौके पर पायतन के रूप में हैं अतः भूमि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है। अतः इस भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। इसके पश्चात प्रकरण कायमी तनकीयात हेतु नियत किया जाकर तनकी कायम करने हेतु तारीख दर चलता रहा व दिनांक 14.3.2015 को लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री करने का गैर कानूनी निर्णय पारित कर दिया जबकि उपरोक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर काफी अर्से से अपीलांट को पक्षकार बनाए गैर कानूनी रूप से दिनांक 14.3.2015 को वादी का वाद डिक्री करने का निर्णय प्रदान कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय व डिक्री में संलिप्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी ताईद में अपीलांट द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस व शास्ति की रसीद जब मौका पर्चा दिनांक 7.9.2009 से पूर्णतया स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.2015 से पीडित एवं आवश्यक पक्षकार होने से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायिक दृष्टि से अनिवार्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाए व बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए हुए एकतरफा में निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 पारित कर दिया जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी उक्त जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24.5.2018 को विपक्षी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष विवादित आराजी मुतनाजा बाबात सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्राप्त करने के पश्चात मौके पर आकर सीमाज्ञान शुरू किया तब जाकर प्रार्थीगण को उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय व डिक्री की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उपरोक्त सभी दस्तावेज प्राप्त करने में प्रार्थीगण को करीब डेढ माह का समय व्यतीत हो गया।यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी का न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में अंतलिप्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त काफी अर्से से चला आ रहा है व कब्जे काश्त बाबत अपीलांट के पक्ष में धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस व शास्ति की रसीदें व खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट का कब्जा काश्त बखूबी साबित है इसके बाबत बिना अपीलांट को पक्षकार बनाए जो वाद विपक्षी का डिक्री किया गया है वह कानूनन डिक्री योग्य नहीं था एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में विपक्षी का वाद खारिज योग्य था। अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलांट का कब्जा काश्त होने बाबत धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस मय शास्ति रसीद व खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2062 से 2065 प्रस्तुत की जा रही है जिसमें अपीलांट का कब्जा काश्त पूर्ण रूप से साबित हैं ऐसी स्थिति में विपक्षी का विवादित आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं होने से विपक्षी का खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.2015 पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण में तहसीलदार, केकडी के द्वारा जांच रिपोर्ट तलब की गई थी जिसमें स्वयं हल्का पटवारी गोरधा द्वारा मौका रिपोर्ट में क्रम संख्या 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हे कि खसरा नम्बर 136, 137 व 138 में सम्वत 2063 व 2065 में अपीलांट का आंशिक अतिक्रमण है जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत खसरा परिवर्तनशील में काश्तकार के नाम प्रस्तुत की गई थी इसके बावजूद भी बिना अपीलांट को पक्षकार बनाए जो निर्णय व डिक्री पारित किया है जिससे अपीलांट सीधे तौर पर पीडित एवं आवश्यक पक्षकार होने से अपीलांट को उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय व डिक्री को चुनोति देने का पूर्ण अधिकार होने से विपक्षी के पक्ष में पारित गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.2015 नियमों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किए जाने पर धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिए जाने के उपरांत या धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत छूट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता था परंतु बिना धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिए विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही संधारण योग्य नहीं था। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने उपरोक्त विधिक बिन्दु के विरूद्ध जाकर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14/03/2015 निरस्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिए जाने बाबत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 138/2012 रतना पुत्र चतुर्भुज ने राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। विवादित आराजी रतना को आवंटन होने के कारण खातेदार घोषित किये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था ना विवादित बाबत् कोई साक्ष्य अपने कब्जे बाबत् प्रस्तुत किये है। प्रार्थी/अपीलांट किसी प्रकार से पीड़ित पक्षकार या प्रभाविक पक्षकान नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.को खारिज फरमाया जावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट तो केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त था वो भी सरकारी भूमि पर था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2015 की जानकारी दिनाक 24.05.2018 को हो गयी थी फिर भी यह अपील दिनांक 11.07.2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसके संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। माननीय न्यायालय से

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 133, 136, 137 व 241 रकबा 0.17, 0.33, 0.95 व 17 है0 कुल रकबा 1.62 है0 भूमि दिनांक 19.01.1983 को आवंटन होना भी वर्किंग जमाबंदी से जाहीर था। तहसील केकड़ी में नया सेटलमेन्ट का रिकार्ड आया है जिसमें वाद की गैर खातेदारी की आराजी को बिना किसी आदेश/दस्तावेज के सिवायचक दर्ज कर दी गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 275 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राजस्व रिकार्ड में हुए पूर्व प्रविष्टि को बदलने का कोई का अधिकार नही रखते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जवाब प्राप्त कर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में 1998 आर.बी.जे. पेज 274, 2011 आर.आर.टी.(2) पेज 721,

10. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की प्रार्थना–पत्र व अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना न्यायहित में उचित समझते है। मौका पर्चा रिपोट दिनांक 09.02.22 एवं 07.09.2009 के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांटस का आंशिक रूप से कब्जा काश्त होना अंकित किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत् उनके हित प्रभावित होना व पीड़ित पक्षकार होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

11. अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपनाया जाना चाहिए। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने बाबत् आदेश न्यायहित में प्रदान करना न्यायहित में उचित समझते है।अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा तहसीलदार, केकड़ी के द्वारा जवाब दावा दिये जाने के बावजूद भी प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 05 जाप्ता दीवानी की पालना नहीं की है। मान्नीय मण्डल ने अपने परिपत्र एवं अनेको निर्णय में प्रतिपादित किया है कि जहॉ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया वहॉ तनकीयात कायम की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, केकड़ी के द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात भी तनकीयात कायम नहीं कर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर सरसरी तौर पर दावे का निस्तारण किया गया हैं, जो विधि सम्मत नही है। प्रकरण में अपीलांट को प्रतिवादीगण संयोजित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते वाद का पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

13. अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 138/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश दिनांक 14.03.2015 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को वाद में प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित कर सभी पक्षकारान वादी/प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को उपस्थिति रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर